पत्रांक–बि0क0च0आ0–प्र0–03 / परीक्षा–72 / 2016(खंड–3)..................

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

–:अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:–

पत्रांक 1582/3:110 — दिनांक 11.07.2021

वि0सं0–06060114, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2014 के टंकण जाँच में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैः–

1. टंकण जाँच में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपना Hall Ticket नीचे दिये गये लिंक से Download कर लें। अभ्यर्थी का UserID उनका अपना Roll No. एवं Password DOB (ddmmyyyy) है।
   https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/31537/72032/login.html
   Hall Ticket का प्रिंट आउट निकालकर अभ्यर्थी अपने निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर लाना सुनिश्चित करेंगे। Hall Ticket में दिये गये निदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे।
2. पूर्व के दिये गये निर्देश के आलोक में अभ्यर्थी अपने साथ मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं एक फोटोयुक्त पहचान–पत्र यथा आधार कार्ड, आदि मूल में लायेंगे।
3. आयोग के वेबसाइट पर टंकण जाँच परीक्षा हेतु कार्यक्रम PDF Format में अपलोड किया गया है। यह सूची लम्बी है। अतः सुगमता के लिए अभ्यर्थी PDF में Search Option में जाकर अपना Roll No डालेंगे, जिससे उनके अनुक्रमांक वाला पेज खुलेगा जहाँ पर उनको परीक्षा की तिथि, पाली एवं समय और केन्द्र का नाम एवं पता दिखेगा। इस पेज को प्रिंट करवाकर अपने पास रख लें।
4. सभी अभ्यर्थी जिनका परीक्षा केन्द्र पाटलीपुत्र क्षेत्र में है, वे परीक्षा केन्द्र का पता सूक्ष्मतापूर्वक एवं सावधानीपूर्वक नोट कर लेंगे क्योंकि पाँच परीक्षा केन्द्र वहाँ आसपास ही अवस्थित हैं। इसलिए अपने निर्धारित केन्द्र पर समय पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे।
5. अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ घंटा पहले अपने परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र का गेट बंद कर दिया जायेगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
6. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र के अंदर या बाहर सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में रहेंगे। अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि परीक्षा भवन और परिसर में और इसके इर्द–गिर्द कोई उद्दंडता/अवांछित गतिविधि अथवा कदाचार न करें। यदि वे ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जायेंगे तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
7. अभ्यर्थियों को Covid-19 Protocol का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा।

11/7/21

सचिव